Govt. of India Chief Controller of Accounts, M/o Information & Broadcasting, New Delhi

CITIZEN CHARTER

Introduction

The Secretary of M/o Information& Broadcasting besides being Administrative Head of the ministry is also designated as the Chief Accounting Authority. The Secretary performs this function with the assistance of Additional Secretary and Financial Adviser and Chief Controller of Accounts.

The Chief Controller of Accounts is the administrative head of the Accounting Organisation and exercise this function with the assistance of one Controller of Accounts, One Deputy Controller of Accounts, and 34 Sr. Accounts Officer/ Accounts Officers. The Accounting Organisation comprises of a Pr. Accounts Office, 14 Pay and Accounts offices located at Delhi(5), Chennai(2), Kolkata(2), Mumbai(2), Lucknow(1), Nagpur(1), Guwahati(1) and an Internal Audit Wing.

Our responsibilities:-

- 1 Expenditute control over Appropriation
- 2 Timely accounting of Receipts and Expenditure
- 3 Compilation and Consolidation of Monthly and Annual Accounts of the Ministry for submission to Controller Genral of Accounts.
- 4 Formulation of Receipt Budget.
- 5 Ensuring prompt payments including Pay & Allowances, Office Contigencies, Loans and Advances to Govt. Servants, authorization of Loans and Grants-in-aid to State Govt. etc.
- 6 Speedy settlement of Pension, Provident Fund and other claims.
- 7 Internal Audit of the Ministry, Media Units and PAOs
- 8 Making available accounting information to concerned authorities for effective finacnial management.
- 9 Internal Finance Advisory function for Directorate of Film Festival, Press Information Bureau, Directorate of Field Publicity, Publication divison, Research, Reference and Training Division.

Our Mission:-

In the revised outcome driven financial and accounting regime under the Scheme of Integrated Finacial Adviser, CCA Organisation is responsible for the sepectrum of work enumerated below:-

I Receipt, Payments and Accounts.

- Accurate and timely payments in conformity with prescribed rules and regualtions.
- Timely realization of receipts
- Timely and accruate compilation and consolidation of Monthly and Annual Accounts
- Efficient service delivery of the ministry/Department by the banking system.
- Adherence to prescribed accounting standards, rules and principles
- Timely, accurate, comprehensive, relevant and useful financial reporting

II <u>Internal Audit/Performance Audit;</u>

Moving beyond the narrow myopic cofines of compliance/regulatory audit, internal audit is to focus on:-

- Assessment of adequacy and effectiveness of internal controls in general and soundess of financial system and reliability of financial and accounting reports in particulars.
- Identification and monitoring of risk factors (including those contained in the Outcome budget)
- Critical assessment of economy, efficiency and effectiveness of service delivery mechanism to ensure value for money and
- Providing an effective monitoring system to facilitate course correction;-

III Other Financial Management Activities:-

- Budget formation including the 'Outcome' and 'Performance Budget'
- Expenditure and Cash Managemnt
- Estimation and flow of non-tax revenue receipts
- Monitoring of Assets and Liabilities
- Disclosure and reporting requirements under Fiscal Responsibility and Budget Management Act.

REDRESSAL OF GRIEVANCES

In case of any grievance, kindly contact or write to:-

Accounts Officer (TA Pr. Accounts Office M/o Information & Broadcasting H-29, Tropical Building Connaught Circus New Delhi – 110 001 Telephone No.23355648 E-Mail Add. Aogcell-inb@nic.in भारत सरकार वेतन एंव लेखा कार्यालय सूचना प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली

नागरिक संहिता

प्रस्तावना

सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के सचिव मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख के अलावा प्रधान लेखाकंन अधिकारी भी है । सचिव को इस कार्य में अपर सचिव, वित सलाहाकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक से सहायता प्राप्त होती है ।

मुख्य लेखा नियत्रक, लेखा संगठन का प्रशासनिक प्रमुख होता है । इस कार्य में उनकी मदद के लिये लेखा नियंत्रक, एक उपलेखा नियंत्रक, तथा 14 वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी होते है । इस लेखा संगठन में मुख्य लेखा कार्यालय, 14 वेतन एंव लेखा कार्यालय है जो कि दिल्ली में 5, चैन्नई में 2, कोलकाता में 2, मुंबई में 2, लखनउ में 1, नागपुर में 1, गोहाटी में 1, तथा आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध सम्मिलित हैं ।

हमारा उतरदायित्व

- 1. विनियोग के उपर नियंत्रण
- 2. प्राप्तियों एंव खर्चीं को समय पर हिसाब में लेना
- महालेखा नियंत्रक, वित मंत्रालय को भेजने के लिये सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के मासिक एंव वार्षिक खातों का संकलन एंव समन्वयन
- 4. प्राप्ति बजट बनाना
- 5. वेतन एंव भत्तों , कार्यालय आकस्मिक व्यय, सरकारी कर्मचारियों के लिये कर्ज और अग्रिम , राज्य सरकारों को कर्ज और सहायक अनुदान का शीध्र भुगतान सुनिश्चित करना
- 6. पेंशन, भविष्य निधि और अन्य दावों का शीध्रता से निपटान
- 7. मंत्रालय और इसकी मीडीया इकाइयों सहित वेतन एंव लेखा कार्यालयों का आंतरिक लेखा परिक्षा
- 8. प्रभावशाली वित्तीय प्रबंधन हेत् संबंधित अधिकारियों को लेखाकंन संबंधी सूचना उपलब्ध करवाना
- फिल्म समारोह निदेशालय, पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रिय प्रचार निदेशालय, प्रकाशन विभाग तथा गवेषण, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग के लिये आतंरिक वित्त सलाहकार का कार्य

हमारा मिशन

आतिरक वित्त सलाहकार योजना के अंतर्गत वित्तीय एंव लेखाकन प्रणाली के संदर्भ में मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन निम्मलिखित कार्यों के प्रति उतरदायी है -

प्राप्ति, भुगतान एंव लेखाकंन

- 1. सही और समय पर नियम और विनियम के अनुसार भुगतान
- 2. प्राप्तियों का समय पर वसूली करना
- 3. मासिक और वार्षिक लेखाओं का ठीक समय पर संकलन एंव समन्वयन
- 4. बैंकिंग पद्वति द्वारा मंत्रालय / विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना

- 5. निर्घारित लेंखाकन मापदंडो, नियमों और सिद्वातों का अनुपालन
- 6. समयबद्घ, विस्तृत संगत और उपयोगी वितिय प्रतिवेदन देना

आंतरिक लेखा परिक्षा / निष्पादन बजट

आंतरिक लेखा परिक्षा, नियमित लेखा परिक्षा को संकीर्ण, निकट दिष्टिक, परिसिमन संकलन का ध्यान में रखते हुये निम्म तथ्यों पर जोर देना है -

- 1. सामान्य रूप में उपयुक्त और प्रभावपूर्ण आतंरिक नियंत्रण तथा विशेष रूप में वितीय पद्धति, वितिय विश्वसनीयता ओर लेखाकन रिर्पोटों की युक्तियुक्ता
- 2. जोखिम तथ्यों का अनुश्रवण और पहचान ।आउटकम बजट के अन्दर ।
- 3. समय की उपादेयता को सुनिश्चि करते हुऐ अर्थ् व्यवस्था का विवेचनात्मक मूल्यांकन ओर सेवातंत्र का प्रभावप्रण ढग से उपयोग
- 4. प्रक्रिया में दोष निवारण हेत् अनुश्रवण पद्वति प्रदान करना

अन्य वितीय प्रबंधन क्रियाक्लाप

- 1. आउटकम और निष्पादन बजट बनाना
- 2. रोकड प्रबंधन ओर खर्चे
- 3. कर मुक्त राजस्व प्राप्ति का मूल्यांकन
- 4. देया-देय का अनुश्रवण
- 5. राजकोषीय नीति ओर बजट प्रबंधन नियम के अंतर्गत प्रतिवेदन के प्रगटीकरण की आवश्यकता

शिकायतो का समाघान

अगर कोई शिकायत हो तो कृप्या निम्मलिखित अधिकारी से संपर्क स्थापित करें या लिखें -

लेखा अधिकारी । तकनीकी प्रभाग। मुख्य लेखा कार्यालय सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय एच - ब्लाक, टापिकल भवन कनाट सर्कस नई दिल्ली - 110 001

दूरभाष - 23355648 ई मेल पता - ओज सेल- इनब निक-इन